

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/प्रशि./2016/235

भोपाल, दिनांक 4/07/2016

//आदेश//

दिनांक 11-16 जुलाई 2016 की अवधि में पोस्टमार्टम विषय पर 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मेडिकोलीगल संस्थान, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय केम्पस, भोपाल में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निम्नलिखित विभागीय चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया जाता है:-

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थल	दूरभाष
1	डॉ. शैलेन्द्र माथुर	जिला चिकित्सालय, रतलाम	9424857318
2	डॉ. आदित्य दुबे	जिला चिकित्सालय, सागर	9425637780 (सीएस)
3	डॉ. अंकुर छारी	जिला चिकित्सालय, रायसेन	9826295564 (सीएस)
4	डॉ. दिनेश खत्री	जिला चिकित्सालय, मंदसौर	9575015082
5	डॉ. यशवंत वर्मा	जिला चिकित्सालय, कटनी	9425180581 (सीएस)
6	डॉ. प्रदीप डोडवाल	जिला चिकित्सालय, झाबुआ	9826175322 (सीएस)

- उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रतिभागी दिनांक 11.07.16 को प्रातः 09.00 बजे अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति डॉ. अशोक शर्मा, संयुक्त संचालक मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल को प्रस्तुत करेंगे। अन्य जानकारी हेतु इनसे मोबाईल नं. 09303105102 पर संपर्क किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता शासकीय नियमानुसार देय होगा।
- किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि नामांकित चिकित्सक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जाना संभव न हो तो उसके स्थान पर जिला चिकित्सालय में कार्यरत अन्य नियमित चिकित्सा अधिकारी को नामांकित कर उसकी सूचना अधोहस्ताकर्ता को भेजी जावे।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित चिकित्सक को वापस ड्यूटी पर उपस्थित कराया जावेगा।

(डॉ. बी.एस. ओहरी)

संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /07/2016

पृ. क्रमांक/प्रशिक्षण/16/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय, भोपाल
4. संचालक मेडिको लीगल संस्थान, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रतलाम, सागर, रायसेन, मंदसौर, कटनी एवं झाबुआ, म.प्र.।
7. समस्त संबंधित चिकित्सा अधिकारी की ओर पालनार्थ।

संचालक (प्रशिक्षण)